न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2013

निर्मल सिंह पुत्र वसनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल शेरपुरा तहसील समराला जिला लुधियाना पंजाब।

——अपीलांट

बनाम

1. वसनसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर हाल शेरपुरा तहसील समराला जिला लुधियाना।
2. दिलबाग सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. हरबंस कौर पुत्री अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी नवदीया बाकी तहसील पेवावा जिला शाहजहांपुर उतर प्रदेश।
4. कुलवन्त कौर पुत्री अजायब सिंह पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल मल्ला ते0 अजनाला जिला अमृतसर पंजाब।
5. जगीर कौर पुत्री अजायब सिंह पत्नी जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. स्वर्ण कौर पुत्री अजायबसिंह पत्नी बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. धीरो पुत्री अजायब सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. सुखपालकौर दोहती अजायबसिंह पत्नी हरबंससिंह जटसिख निवासी टोबी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

13/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

9. जसपाल कौर दोहती अजायब सिंह पत्नी दीवार सिंह निवासी पिण्ड बिसोवा तहसील फतेहगढ चुडिया जिला अमृतसर पंजाब।
10. कुलविन्द्र कौर दोहती अजायब सिंह पत्नी अवतार सिंह निवासी पिण्ड गिदडा वाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
11. लाभसिंह पुत्र दिलबागसिंह जाति जटसिख निवासी चक 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. हीरासिंह पुत्र दिलबाग सिह जाति जटसिख निवासी चक 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. नरेन्द्र सिंह पुत्र वसनसिंह जाति जटसिख निवासी 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर हाल शेरपुर तहसील समराला जिला लुधियाना पंजाब।
14. जगरूप सिंह पुत्र वसनसिंह जाति जटसिख निवासी 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर हाल शेरपुर तहसील समराला जिला लुधियाना पंजाब।
15. अमरजीत सिह पुत्र रिछपालसिंह जटसिख निवासी 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
16. सुरेन्द्र मोहन पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 38 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर।
18. बलदेव कौर पत्नी त्रिलोचन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डी डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

दिनांक 25.07.2013

उपस्थिति :–

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक अपीलार्थी ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

23/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 13.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर कैम्प पदमपुर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 88, 183, 92ए का सुन्दरसिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि चक 38 जी जी प्रथम के मु.न. 7 के 24.16 बीघा मु.न. 10 के 25 बीघा कुल 40.16 बीघा संयुक्त खाता की भूमि में प्रतिवादी सं. 2 के नाम 15 बीघा व वादी के दादा अजायबसिंह के नाम 10 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी का सहदायिक हिस्सा है । वादी ने वाद पत्र के अनुतोष क से घ अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी सं0 1, 8, 9, 10, 13, 14 ने जबाव दावा पेश कर वाद स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया । प्रतिवादी सं. 2 से 7 , 11, 12 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये । सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 25.07.2013 को वाद खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध वादी/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण के विरूद्ध 20.04.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई एवं वकील अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित में कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति थी जिस बाबत अधी.न्यायालय ने तनकी कायम नहीं की। तनकी सं0 2 में यह लिखा है कि पंजाब की भूमि क्रय कर विवादित भूमि खरीदी थी जबकि वाद पत्र की मद सं.2 में राजस्थान के चक 35 जीजी की भूमि के बारे में यानि 44 बीघा भूमि के बारे में स्पष्ट कथन किया था । तनकी सं0 5 का सही निर्णय नहीं किया गया है। जिस वसीयत के बारे में कथन किया कि उसको सिविल न्यायालय में चुनौती देने पर सिविल न्यायालय द्वारा

13/9/17
अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 31.07.2007 को दावा डिक्री करते हुए वसीयत को अवैध व शून्य घोषित करने व डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का भी खारिज करने का आदेश दिया । उक्त निर्णय की प्रति भी अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलबध है। जिससे यह साबित है कि रेस्पो. जिस निर्णय डिक्री का सहारा ले रहा है उसे सिविल न्यायालय द्वारा अवैध व शून्य घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का हक होना स्पष्ट हो जाता है। तनकी सं02 को सही बनाकर निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांट के परदादा के नाम से चक 35 जी जी में करीब 44 बीघा भूमि होना दस्तावेज से साबित है एवं पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है। अधी. न्यायालय ने प्रतिवादी के जबाव दावा की मद स. 3 में विवादित भूमि के बारे में वादी के वाद के कथनों का खंडन स्पष्ट रूप से नहीं किया है। वादी अपीलांट के परदादा सुन्दरसिंह से दादा पिता को भूमि मिलने से वादी चौथी पीढ़ी में आने से पैतृक सम्पति होना स्पष्ट है। रेस्पो.स.2 के नाम जब जमीन लगाई तब वह 8–10 साल का था इस तथ्य से जबाव दावा में इन्कार नहीं किया है। इसके अलावा वादी ने वाद पत्र में वंशावली दर्शाई है उससे रेस्पो. ने इन्कार नहीं किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर सही तनकीयात कायम नहीं की है एवं जो तनकीयात कायम की गई है उनके आधार पर जो साक्ष्य पेश किया गथा उस पर सही निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर सही तनकीयात कायम नहीं की है एवं जो तनकीयात कायम की है उनका निर्णय सही नहीं किया है। इस न्यायालय द्वारा रेस्पो. को जरिये रजि. सम्मन से तलब किया गया था । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.02.16 व 20.4. 2016 के अनुसार रेस्पो. के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । रेस्पो. द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलांट द्वारा जो अपनी लिखित बहस में तथ्य अपील में उठाये है उनका खंडन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट

18/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा जो अपील में कथन किये है उनपर विश्वास नहीं करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में सीपीसी के आदेश 41 नियम 17(2)के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी पदमपुर का आदेश दिनांक 25.07.2013 निरस्त कर इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि अपीलांट की अपील का सार सही तनकीहात कायम कर गुणावगुण के आधार पर पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया जावें ।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर